(1)

संख्याःईडीएन–एच(1)बी(15)–1 / 2009
शिक्षा निदेशालय उच्चतर
हिमाचल प्रदेश
दिनांक शिमला–171001, जुलाई, 2018

शिक्षा निदेशालय, उच्चतर हि०प्र०
13 JUL 2018

सेवा में

1. समस्त उप निदेशक उच्च शिक्षा, हिमाचल प्रदेश.
2. समस्त प्रधानाचार्य / मुख्याध्यापक,
   रा०महाविद्यालय / रा०व०मा०वि० / रा०उ०वि, हिमाचल प्रदेश.
3, कमाण्डर,एनसीसी ग्रुप मुख्यालय व समस्त यूनिट,हि0प्र0.
4. पुस्तकाध्यक्ष,केन्द्रीय राज्य पुस्तकालय व समस्त जिला पुस्तकालय,हि0प्र0.

विषयः– हिन्दी भाषा का सभी प्रशासनिक कार्यों में अधिकाधिक प्रयोग बारे।

ज्ञापन,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि भारत की संविधान सभा द्वारा 14 सितम्बर 1949 को देवनागरी लिपि में हिन्दी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इसी के अनुपालन में हिमाचल प्रदेश में राजकीय कार्य राजभाषा में करने के उददेश्य से फरवरी 1975 में हिमाचल प्रदेश राजभाषा अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम में राजभाषा को उपनाने के लिए 26 जनवरी 1978 से पूर्ण हिन्दी लागू करने के आदेश जारी किए गए हैं।

प्रदेश सरकार सरकारी कामकाज में हिन्दी भाषा के प्रयोग को बढावा देने के लिए वचनबद्ध है, ताकि आमलोग सरकार की कार्य प्रणाली को आसानी से समझ सकें। सरकारी कामकाज का हिन्दी में होना प्रदेश के सामान्य जन के हित में है। इससे राष्ट् भाषा को जनमानस में अधिकाधिक जन लोकप्रिय बनाया जा सकेगा। सरकारी कार्य जितना सरल और आम जनमानस की भाषा में होगा उतना ही पारदर्शी एव सुलभ होगा।

भाषा एवं संस्कृति विभाग हि0प्र0 हिन्दी को बढावा देने के लिए तथा सरकारी कामकाज में इसके प्रयोग के लिए समय–समय पर हिन्दीकरण प्रतिशतता की रिपोर्ट एकत्रित करता है जिसमें पाया गया है कि बार–2 आग्रह करने पर भी अधिकतर कार्य अंग्रेजी में हो रहा है।

अतः आपको निर्देश दिए जाते हैं कि राजभाषा का सम्मान करते हुए भविष्य में अपने तथा अपने अधीनस्थ कार्यालयों के प्रशासनिक कार्यों को हिन्दी में किया जाना सुनिश्चित करें।

(डा0सोनिया ठाकुर)एचएएस
संयुक्त निदेशक उच्च शिक्षा(प्र0)
हिमाचल प्रदेश

पृष्ठांकन संख्याः– दिनाक शिमला–171001, 13 जुलाई,2018
1. सचिव (शिक्षा) हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला–2.
2. सचिव (भाषा संस्कृति) हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला–2.
3. निदेशक, भाषा एवं संस्कृति विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला–9.
4. प्रभारी, कम्प्यूटर प्रकोष्ठ को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(डा0 सोनिया ठाकुर) एचएएस
संयुक्त निदेशक उच्च शिक्षा(प्र0)
हिमाचल प्रदेश

पृष्ठांकन संख्या G-II-R 5116 .... दिनांक 18/7/18 ऊना

कार्यालय शिक्षा उप निदेशक (उच्चतर) ऊना जिला ऊना (हि०प्र०)

1. समस्त प्रधानाचार्य / मुख्याध्यापक / रा०व०मा०पा० / रा०ऊ०पा० जिला ऊना (हि०प्र०) को सूचना तथा आवश्यक कर्यावाही हेतू प्रेषित है ।

शिक्षा उप निदेशक(उच्चतर)
ऊना जिला ऊना (हि०प्र०)